

 <p>प्रभास्मिशशिसूर्ययोः</p>	<p><b>जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड</b>  पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005  <b>कार्यालय अधीक्षण अभियंता (आर.ई.)</b>  पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर- 302006  (फोन नं. 0141-2200334 / 2202241)  <b>Website:www.energy.rajasthan.gov.org/jvvnI, email: sere@jvvnI.org,</b></p>
---	---

क्र. जे.पी.डी./अति.मु.अ.(पी.पी.एम) /अधी.अभि.(आर.ई)/ अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. 1370 दि 4/3/19.

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 10.2 का स्पष्टीकरण।


कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 10.2 का विवरण निम्न हैं। सामान्य योजना के आवेदक जो निर्धारित अवधि में मांगपत्र जमा नहीं करवाते हैं, वे अपने आवेदन को रू. 500/- जमा करवा कर पुनर्जीवित करवा सकेंगे बशर्ते वे मांग पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में आवेदन करते हैं। मांगपत्र राशि जमा कराने की अंतिम दिनांक से जितने दिन बाद आवेदन को पुनर्जीवित करने हेतु रू. 500/- जमा करवाते हैं, उसके आवेदन की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि से उतनी ही आगे कर निर्धारित की जावेगी किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी तथा मांगपत्र नवीन प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जावेगा।

#### स्पष्टीकरण

कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 10.2 के उपरोक्त पैरा का स्पष्टीकरण:-

सामान्य योजना के आवेदक जो निर्धारित अवधि में मांग पत्र जमा नहीं कराते हैं, तो वे जितनी बार भी चाहे अपने आवेदन को आवेदन शुल्क रू. 500 जमा कराके पुनर्जीवित करा सकेंगे, बशर्ते वे प्रथम (मूल) मांग पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि से पाँच वर्ष की अवधि में आवेदक करते हैं। उनकी आवेदन की प्राथमिकता मूल आवेदन की तिथि से उतने दिन आगे कर निर्धारित की जावेगी। किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी।

कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 10.2 की अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेगी। यह स्पष्टीकरण तीनों विद्युत वितरण निगमों पर लागू होगा।




(वी.डी. बंसल)

अति. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)

जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
5. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/भरतपुर/कोटा।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता(पवस/जे.सी.सी/जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम)अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहाय, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
10. प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
11. प्रावैधिक सहायक राज्यमंत्री उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
13. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
14. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर।
15. अधिशाषि अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
16. विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18. निजी सचिव माननीय उर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
19. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।

  
अति. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)  
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर